Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Appeal No.- 15/2023

Sahnara Khatoon ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार के न्यायालय के आपूर्त्ति वाद सं0–04/2019 में दिनांक–10.05.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-18166/2019 में दिनांक–09.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–05 द्वारा चयन समिति निर्णय के विरूद्ध माननीय लोकायुक्त के समक्ष दिये गये आवेदन के आलोक में इस न्यायालय में आपूर्त्ति अपील वाद दायर किया गया था। कटिहार जिला के अंतर्गत P.D.S. अनुज्ञप्ति हेतु अपीलार्थी द्वारा पंचायत–देवगाँव, प्रखंड–आजमनगर में E.B.C. महिला श्रेणी में आवेदन किया गया था जिसमें सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, मालदा (पश्चिम बंगाल) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। इन्हें कंप्यूटर ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट में 58.67% अंक प्राप्त है। दस्तावेजों के जाँचोपरांत औपबंधिक मेधा सूची में इनके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई थी। जिसके आलोक में जिला चयन समिति द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–25/2018 निर्गत किया गया। किरायेनामा भी इनके द्वारा गैर न्यायिक स्टाम्प में समर्पित किया गया। उत्तरवादी का आरोप है कि उक्त स्टाम्प दिनांक–10.06.2017 का है जिसपर दिनांक–01.04.2017 को हस्ताक्षर किया गया है जबकि आवेदन की अंतिम तिथि–31.05.2017 तक ही था। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई द्वारा संबंधित कार्यालय कर्मियों से स्पष्टीकरण की माँग की गई जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी से भी दिनांक–16.01.2019 को कारण–पृच्छा नोटिस जारी की गई। जिसके आलोक में इनके द्वारा दिनांक–30.01.2019 को जबाव समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रारंभ में सादे कागज पर किरायेनामा तैयार किया गया था जिसपर दिनांक–01.04.2017 को हस्ताक्षर अंकित किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रखंड	

WebCopy Not Official.

		आपूर्त्ति पदाधिकारी के सलाह पर स्टाम्प पर उक्त तिथि भूलवश अंकित हो गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार द्वारा जिला पदाधिकारी को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में स्टाम्प पेपर को विरोधाभाषी प्रतिवेदित किया गया। क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	जिला चयन समिति द्वारा दिनांक–14.03.2019 की बैठक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2003/का0–72 दिनांक–13.02.2014 के आलोक में चयन हेतु अन्य प्रांत के आरक्षण कोटि की अभ्यर्थी बिहार राज्य में चयन हेतु सामान्य जाति के माने जाने के आधार पर अपीलार्थी को सामान्य श्रेणी का मानते हुए पिछड़ा वर्ग (महिला) में चयन किये जाने के फलस्वरूप इनके चयन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति सं0–25/2018 को दिनांक–10.05.2019 को रद्द कर दी गई जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत् नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। जिला चयन समिति द्वारा पूर्व में इनके सभी दस्तावेजों को वैध पाकर अनुज्ञप्ति निर्गत की गई थी जबकि उत्तरवादी सं0–05 द्वारा इसपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। अपीलार्थी द्वारा गलत मंशा से कोई कार्य नहीं किया गया है। अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व न तो इनसे कारण–पृच्छा की माँग की गई और ना ही इनके पक्षों की सुनवाई की गई। उल्लेखनीय है कि आवेदन के शर्त्तों में यह कहीं नहीं उल्लिखित है कि जाति प्रमाण पत्र बिहार राज्य का ही संलग्न किया जाय। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–11/दि0–2वि0व0आ0–6/2005सा0प्र0–13623 दिनांक–10.09.2015 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम–03/1992 के अत्यंत पिछड़े वर्गों की अनुसूची–1 के क्रमांक–102 पर शेरशाहवादी दर्ज है। अपीलार्थी के पति मसरीकूल के नाम अंचल कार्यालय, आजमनगर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती है। अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति रद्द करने का एकतरफा निर्णय उस समय लिया गया जब कोविड–19 का संक्रमण चरम बिंदु पर था। इससे स्पष्ट है कि उत्तरवादी सं0–05 द्वारा गुपचुप एवं अवैध रूप से कार्यालय को मेल में लाकर बिना इनके पक्षों की सुनवाई किये जिला चयन समिति द्वारा इनके अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने की अनुशंसा किया जाना विधि विरूद्ध है जिसमें हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। उक्त पंचायत में P.D.S. अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उत्तरवादी सहित अन्य	

Web Copy, Not Official.

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, चांचल अनुमंडल, जिला–मालदा (पश्चिम बंगाल) से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। जिला चयन समिति द्वारा दिनांक–18.12.2017 को उत्तरवादी सं0–05 की जगह अपीलार्थी का चयन कर लिया गया जबकि उनका इनसे कम अंक प्राप्त है। इसके विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा सक्षम प्राधिकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई तथा माननीय लोकायुक्त के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है जहाँ वाद सं0–05/लो0आपूर्त्ति/04/

क्रमशः

<u>लगातार</u>
14.11.2023

2018 दर्ज करते हुए जिला पदाधिकारी को इसकी प्रति भेजी गई। कुल–14 अभ्यर्थियों में से उत्तरवादी पाँचवें एवं अपीलार्थी 14वें स्थान पर थी। अपीलार्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था और उनके द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन भी समर्पित नहीं किया गया था। अपीलार्थी द्वारा गुलाम रब्बानी के साथ निष्पादित एकरारनामा दिनांक–10.06.2017 को निर्गत स्टाम्प निर्गत है, जिसपर उनका हस्ताक्षर 01.04.2017 अंकित है जो अपीलार्थी के धोखाधड़ी चरित्र को दर्शाता है। अपीलार्थी द्वारा पश्चिम बंगाल का जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था जो वैध नहीं है। व्यापार स्थल की प्रस्तावित दूरी कोई मान्य शर्त्त नहीं है। विभागीय पत्रांक–2003/का0/72 दिनांक–13.02.2014 में स्पष्ट है कि दूसरे राज्य के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में माना जायेगा। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरांत अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द की गई जो सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटिहार ने पत्रांक–544 दिनांक–29.05. 2023 को मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला पदाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक–1207 दिनांक–04.05.2019 के अनुसार जिला चयन समिति द्वारा दिनांक–14.03.2019 की बैठक में सहनारा खातुन के संबंध में निर्णय लिया गया कि – (क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2003/का0/72 दिनांक–13.02.2004 के आलोक में चयन हेतु अन्य प्रांत के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी बिहार में चयन हेतु सामान्य जाति के माने जायेंगे। अतः सहनारा खातुन का चयन सामान्य श्रेणी के होते हुए भी पिछड़े वर्ग (महिला) में किये जाने के फलस्वरूप इनके चयन को निरस्त किया गया है एवं जिला चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः संवैधानिक एवं नियमानुसार है। अतः अनुरोध है कि अपीलकर्त्ता के वाद को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में खारिज करने का आदेश दिया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जिला चयन समिति, कटिहार के सम्यक् विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई के आदेश ज्ञापांक–189 दिनांक–

Web Copy. Not Official.

		10.05.2019 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उक्त याचिका दायर की गई थी। जिसे विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। जिला चयन समिति, कटिहार द्वारा दिनांक–14.03.2019 की बैठक में अपीलार्थी के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2003/का0/72 दिनांक–13.02.2014 के आलोक में चयन हेतु अन्य प्रांत के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी बिहार राज्य में सामान्य श्रेणी में माने जायेंगे। फलतः अपीलार्थी का चयन सामान्य श्रेणी में होते हुए पिछड़े वर्ग (महिला) में किये जाने के फलस्वरूप इनके चयन को निरस्त करते हुए इनके पक्ष में निर्गत जनवितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–25/2018 को रद्द किया गया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.